


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 13/2025 बउनवानी मनोज कुमार जैन बनाम उपजिला कलेक्टर बौली
निवासी:-नेहा विला महावीर मार्ग बौली

GCMS No-2025/74

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.3.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.11.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "वाके ग्राम रवासा के गत ख0न0 19/1 मिन 8 रकबा 10 बीघा (खातेदार श्रीमती चांद देवी रुरल डवलपमेंट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी बौली, श्रीमति शर्मिला, प्रेमलता, प्रीति जैन,) के संदर्भ में नक्शा शुद्धि विवाद एवं गलत सीमाज्ञान ख0न0 50/813,50/803 दिनांक 28.6.2023 से संबंधित चल रही है के संबंध में बिन्दु संख्या 1 (1-15), 2 (1-14),3,4 की सूचना" उपजिला कलेक्टर बौली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:प.1100/आरटीआई/सूचना/2024/648,650 दिनांक 27.3.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्त के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2024 की अपील पूर्व मे भी अपीलान्त द्वारा इस न्यायालय में पेश की जा चुकी है जो अपील संख्या 5/2025 पर दर्ज की जाकर दिनांक 27.2.2025 को निर्णित की जा चुकी है। उक्त निर्णय मे दिये गये निर्देशानुसार अपीलान्त को सूचना उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2024 की अपील पूर्व मे अपीलान्त द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की जा चुकी है जो अपील संख्या 5/2025 पर दर्ज की जाकर दिनांक 27.2.2025 को निर्णय पारित कर उपजिला कलेक्टर बौली को यह निर्देश दिये गये थे कि चाही गयी सूचना के संबंध में यदि ओर कोई विवरण/जानकारी की आवश्यकता हो तो अपीलान्त से प्राप्त कर अपीलान्त को 15 दिवस मे सूचना उपलब्ध करवायी जावे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जाकर उपजिला कलेक्टर बौली को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व अपील संख्या 5/2025 मे पारित निर्णय दिनांक 27.2.2025 की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस मे भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;">  (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर </p>